भारत

सन् 2015 में, भारत ने बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के उन्मूलन के प्रयासों में मध्यम प्रगति की। 35,000 से भी अधिक बच्चों को जोखिमपूर्ण काम की परिस्थितियों से बचा कर निकाला गया और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा उनका पुनर्वास किया गया। राज्य सरकारों ने बचाव और पुनर्वास की दो कार्रवाइयों के दौरान लगभग 30,000 लापता बच्चों का पता लगाया, जिनमें बहुत से वे बच्चे भी शामिल थे जो बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में संलग्न थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने खोया-पाया वेब साइट की शुरूआत की, जो माता-पिता और आम लोगों को लापता बच्चों की रिपोर्ट करने और उन्हें खोजने का मौका देती है। तथापि, भारत में बच्चे बाल-श्रम के सबसे बुरे रूपों में लगे हुए हैं, जिनमें संकर कपास और कपड़ों के उत्पादन में जबरन श्रम शामिल है। कानूनी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाता क्योंकि यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम की मनाही नहीं करता अथवा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिमपूर्ण कार्य अवैध नहीं ठहराता। कानून उन बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं कराता जो घरों में आधारित उद्यमों में काम कर रहे हों।

रिपोर्टिंग के आधार पर, सुझायी गयी कार्यवाहियां चिह्नित की गयी हैं जो भारत में बाल श्रम के, उसके सबसे बुरे रूपों सहित, निराकरण को बढ़ावा देने में सहायक होंगी।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाहियां	सुझाव का/के वर्ष
क़ानूनी ढांचा	आइएलओ सी.182 को अभिपुष्ट किया जाए	2014 – 2015
	आंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनरूप रोज़गार की न्यूनतम आयु स्थापित की जाए।	2009 – 2015
	जोखिमपूर्ण व्यवसायों में रोज़गार की न्यूनतम आयु 18 तक बढ़ाई जाए ताकि वह आंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।	2009 – 2015
	यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल श्रम क़ानून और नियम औद्योगिक व्यापारों और साथ ही परिवार आधारित उद्यमों में काम कर रहे बच्चों पर समान रूप से लागू हों।	2009 – 2015
प्रवर्तन	श्रम निरीक्षकों की संख्या और बाल श्रम क़ानूनों के उल्लंघनों के लिए जारी किए गये दंड की संख्या सहित, श्रम क़ानून प्रवर्तन के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े एकत्र तथा प्रकाशित किए जाएं।	2014 – 2015
	बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में बच्चों को काम पर रखने के लिए दंड बढ़ाये जाएं।	2014 – 2015
	बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों से संबधित आपराधिक तहक़ीकातों, उल्लंघनों, चलाये गये मुक़दमों और दोष सिद्धियों के बारे में राष्ट्र-स्तरीय आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किये जाएं।	2014 – 2015
	बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों से संबद्ध सभी क़ानूनों के उल्लंघनों के बारे में तहक़ीकातों और चलाये गये मुक़दमों के बारे में पृथक्कृत आंकड़े प्रकाशित किए जाएं।	2009 – 2015
सरकारी नीतियां	बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य कार्यवाही योजनाएं विकसित करने के लिए उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए जहां फिलहाल ये योजनाएं मौजूद नहीं हैं।	2011 – 2015
सामजिक कार्यक्रम	अध्यापक अनुपस्थिति से निपटने, स्कूल सुविधाओं और स्वच्छता को सुधारने, और हाशिये पर मौजूद समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच के	2014 – 2015

	संवर्धन के ज़रिये शिक्षा तक पहुंच के मार्ग की बाधाओं को कम किया जाए।	
	बंधुआ श्रम के बारे में ज़िला-स्तर सर्वेक्षणों के आंकड़ों और जांच परिणामों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाए।	2009– 2015